कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)
—:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश ::—

क्र.८५/एक—11—1/85 दमोह, दिनांक 16 अक्टूबर 2024

कार्य विभाजन आदेश क्र. 27/एक—11—1/85 दमोह दिनांक 10.04.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

कार्य विभाजन आदेश के सरल क्रं. 09 के खंड क्रं. 4 के सरल क्रं. 8

(माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी ज्ञापन क्र. सी/2955/तीन—6—5/10 दिनांक 28.05.2019 के आलोक में सत्र खण्ड दमोह के बाहय स्टेशन हटा (तहसील हटा, पटेरा एवं बटियागढ़) क्षेत्रांर्गत आने वाले पुलिस थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध अपराध (OAW) यथा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या एवं उनसे संबंध अन्य अपराध के प्रकरण तथा सत्र खण्ड दमोह के बाहय स्टेशन हटा (तहसील हटा, पटेरा एवं बटियागढ़) क्षेत्रांतर्गत आने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आपराधिक मामलों की सुनवाई, रिमाण्ड एवं अन्य सुसंगत कार्यवाहियां पीठासीन अधिकारी द्वारा की जावेगी। सबंधित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने अथवा अनुपस्थित होने की दशा में केवल आवश्यक होने पर रिमाण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा दिया जा सकेगा। पाक्सो अधिनियम से संबंधित समस्त अभियोग पत्र की प्रस्तुति सीधे सबंधित न्यायालय में होगी।)

को विलोपित करते हुये कार्य विभाजन आदेश के सरल क्रं. 10 के खंड क्रं. 4 के सरल क्रं.11 के पश्चात् सरल क्रं. 12 के रूप में अंतःस्थापित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(आनंद कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह म.प्र.
16 OCT 2024

पृ. क्रं.1075/एक—11—1/85 **दमोह दि. 16 अक्टूबर 2024**

आदेशानुसार प्रतिलिपि:—

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, कार्यालय कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक दमोह/समस्त न्यायालय/समस्त प्रस्तुतकार/प्रवर्तन लिपिक/अध्यक्ष/सचिव समस्त अधिवक्ता संघ दमोह/हटा/पथरिया जिला दमोह/उपप्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/कार्यालय लिपिक/सिस्टम ऑफीसर दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/10/024
उप प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्याया.
दमोह म.प्र.